



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 53/15

निर्णय दिनांक: 25.05.2018

1. डूंगरराम पुत्र श्री साईराम जाति राईका निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 28-04-2000  
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 28-04-2000 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील

पूगल के चक 5 एन.जी.एम के मुरब्बा नम्बर 91/23 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ।

अदालत मातहत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वह साधारण नोटिस है अथवा रजिस्टर्ड नोटिस कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। साधारण नोटिस है तो उस पर कोई तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट नहीं है। अदालत मातहत की फर्द अहकाम में कहीं भी रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। बिना आदेश यदि रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाते हैं तो ऐसे नोटिस की कानून में कोई अहमियत नहीं है। यदि रजिस्टर्ड नोटिस मान भी लिया जावे तो उसकी रसीद या एडी पत्रावली में कहीं उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है। सुनवाई का अवसर प्रदान न देकर अदालत मातहत ने नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिलिखित व सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विशेष आवंटन के लिए बिना कोई नोटिस दिये प्रार्थना पत्र एकपक्षीय खारिज किया गया है, सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, आदेश अधिनस्थ न्यायालय का सेट असाईड किया गया।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2014-15 (स्प.) पेज 443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-04-2000 के विरुद्ध अपील 26-05-2015 को पेश की है। जो करीब 16 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात् 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-04-2000 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 26-05-2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।  
  
(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 5 एन.जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 91/23 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु व

बकाया सबूत पेश करने हेतु नोटिस क्रमांक 15088 दिनांक 09-08-1999 व क्रमांक 6470 दिनांक 19-04-2000 जारी किये गये कि वे वादगत् भूमि के बाबत् 35 प्रतिशत राशि व बकाया सबूत पेश करें। अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई ना ही वांछित सबूत प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन दिनांक 28-04-2000 को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2014-15 (स्प.) पेज 443 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:-

**Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in Indira Gandhi Canal Project Area) Rules, 13A & 23(2) - Allotment of land cancelled due to non deposit of 35% of amount - Special allotment of land u/s Rule 13-A- No service of notice upon the petitioner to deposit 35% amount- Petitioner is ready to deposit the amount with interest - Order of allotment is restored conditionally.**

प्रकरण में चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु व बकाया सबूत पेश करने हेतु नोटिस क्रमांक 15088 दिनांक 09-08-1999 व क्रमांक 6470 दिनांक 19-04-2000 जारी किये गये हैं लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर मामलें पर चस्या नहीं होती है।

(3) अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई व ना ही वांछित सबूत अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। आवंटन नियमों के तहत आवंटन की दिनांक से 6 माह के भीतर-भीतर निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाना अपरिहार्य है।

यदि निर्धारित अवधि अर्थात् 6 माह के भीतर-भीतर निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो ऐसे आवंटन

स्वतः ही निरस्त माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि उसे विधिवत नोटिस जारी नहीं किया गया है का कोई औचित्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा 35 प्रतिशत राशि व वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण से आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 28-04-2000 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर